

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
:- 64/2017

शीर्षक

1. श्रीमति विमला देवी पत्नी राजेश कुमार, उम्र व्यस्क, जाति बलाई निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. श्रीमति कमली देवी पत्नी श्री मोतीलाल उम्र व्यस्क, जाति माली निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र श्री गोकूल चन्द उम्र व्यस्क
2. रामावतार पुत्र श्री गोकूलचन्द उम्र व्यस्क
3. गोकूलचन्द पुत्र पालाराम, उम्र व्यस्क
समस्त जाति माली निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 12.10.2021

अतः दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 534 रकबा 0.23 है0, वाकै ग्राम साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पेदा नहीं करे।

निर्णय आज तारीख 12.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील		जोड़	
जोड़			